मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ–20–14/2005/बी–ग्यारह भोपाल,दिनांक 29 मार्च, 2010

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश,भोपाल।

विषय – औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का श्रेणीकरण।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 09.06.2005

संदर्भित आदेश द्वारा प्रदेश के जिलों का औद्योगिक दृष्टि से श्रेणीकरण सूचित किया गया था।

2/ आपके पत्र कमांक1/वि.सहा/(21)/82/2038 दिनांक 19.08.2008 से दी गई जानकारी के अनुसार जबलपुर जिले के चार विकास खण्ड क्रमशः कुण्डम,सिहोरा,मझोली एवं पाटन उद्योग विहीन विकास खण्डों की सूची में है। जबलपुर जिले में मुख्य रूप से केन्द्रीय रक्षा विभाग संस्थान है जो कि 50 वर्षों से अधिक पुराने हो चुके है। साथ ही गत दो वर्षों में जिले मे बडे उद्योगों की स्थापना नगण्य रही है।

3/ इसी प्रकार आपके पत्र कमांक1/वि.सहा/(21)/82/1670 दिनांक 05.07.2008 से दी गई जानकारी के अनुसार होशंगाबाद जिले में भी केवल दो वृहद एवं मध्यम उद्योग कार्यरत है जो भारत सरकार के उपक्रम है। गत वर्षों में जिले मे कोई बड़ा नवीन उद्योग स्थापित नहीं हुआ है जबकि पड़ोसी जिले सीहोर (बुधनी क्षेत्र) में वृहद उद्योग स्थापित हुये है।

--2

4/ जबलपुर एवं होशंगाबाद जिलों की उपरोक्त विशिष्ट परिस्थितियों के दृष्टिगत जिला जबलपुर एवं होशंगाबाद को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से आगामी तीन वर्षों के लिये औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की "स" श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग

पृ.क्रमांक एफ–20–14/2005 /बी–ग्यारह भोपाल,दिनांक 25 मार्च, 2010

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त/वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय,भोपाल।
2. प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. /मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.भोपाल।
3. महाप्रबंधक,जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,जबलपुर/होशंगाबाद,मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग